सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 नवम्बर, 2007 ई0

अग्रहायण 01, 1929 शक सम्वत

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग–1

संख्या 3295 / III(1) / 07–39(अधि0) / 06

देहरादून, 22 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

सा0प0नि0–08

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007

भाग एक–सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली , 2007 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2– सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।

3– परिभाषाएं–

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) " नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) " भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ड.) "विभाग" से उत्तराखण्ड के लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "अधीनस्थ" अभियंत्रण सेवा" से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत, तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत, तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न होने और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलैन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–2–संवर्ग–

4–सेवा का संवर्ग–

(1) सेवा में कर्मचारियों और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय ।

(2) सेवा के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, संलग्न "परिशिष्ट" के अनुसार होगी ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे इस प्रकार आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग 3–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्राख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों/शासनादेशों में विहित हो ।

6–आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यथियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग– 4 अर्हताएं

7–राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय के पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्री लंका (पूववर्ती सीलोन) या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगान्डा या यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो :

परन्तु उपुर्यक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड के पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

8–शैक्षिक अर्हताएं–

अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यथा सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक होगा ।

9–अधिमानी अर्हताएं–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(ख) राष्ट्रीय कैडिट कोर का 'बी0' प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया हो; और

(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।

10–आयु–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा रिक्तियॉ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यथियों के मामले में, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय:

11–चरित्र–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्व व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

12–वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं ।

13–शारीरिक स्वस्थता–

किसी अभ्यर्थी के लिए सेवा में किसी मौलिक रिक्ति पर नियुक्ति करने से पूर्व यह आवश्यक है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–2, भाग–3 के अध्याय 3 में दिये गए मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह किसी ऐसे शारीरिक रोग से मुक्त है, जिससे उसे अपने शासकीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो ।

भाग 5–भर्ती की प्रकिया

14–रिक्तियों का अवधारण–

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणी के पदों पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना आयोग को देगा ।

15–सीधी भर्ती की प्रकिया–

(1) सेवा में भर्ती के लिए प्रार्थना–पत्र आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे और नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे, जिसे आयोग के सचिव, से भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, जो निर्दिष्ट किया जाये ।

(2) विभाग में पहले से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने प्रार्थना–पत्र उचित माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो उसे अपने नियत कालिक प्रतिवेदन (periodical Report) के साथ आयोग को भेजेगा ।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो ।

(4) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्व कर लिये जाने के पश्चात् आयोग, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक्, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए,उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर पर पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को, लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में, जोड़ दिया जायेगा।

(5) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को संस्तुत करेगा, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा । सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक होगी । आयोग, सूची शासन के कार्मिक विभाग को अग्रसारित करेगा ।

16–शुल्क–

सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को, आयोग को प्रार्थना–पत्र तथा साक्षात्कार के लिए, ऐसे शुल्कों का भुगतान करना आवश्यक होगा, जो राज्यपाल द्वारा समय–समय पर नियत किये जायें । इन शुल्कों की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

17–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया–

पदोन्नति द्वारा भर्ती के निमित्त वहीं प्रकिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हों ।

18–संयुक्त चयन सूची–

यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ, सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाएं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यथियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग 6–नियुक्ति, ज्येष्ठता, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

19–नियुक्ति–

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे, यथा स्थिति, नियम 15, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा ।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हैं, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उस ज्येष्ठता कम में किया जायेगा, जैसा कि यथास्थिति, चयन में आधारित की जाए या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाये । यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें, तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे ।

20–परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगा, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जाय:

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों पर पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में वह अन्यथा विफल रहा है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाए, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) परिवीक्षा अवधि में एक माह के नोटिस पर अथवा एक माह का वेतन देने पर सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21– स्थायीकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थाई कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाए;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए; और

(ग) उसने विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

22– ज्येष्ठता–

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराचंल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग 7– वेतन आदि

23–वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रू0 5000–150–8000 होगा।

24–परिवीक्षा अवधि में वेतन–

(1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में, उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति को जो, पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान ल कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमो द्वारा विनियमित होगा।

भाग 8–अन्य उपबन्ध

25–पक्ष समर्थन–

किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न, किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26–अन्य विषयों का विनियम–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27–सेवा शर्तो में शिथिलता–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्ति किसी व्यक्ति की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक होगा ।

28–व्यावृत्ति–

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) देखें]

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	792
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	81
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	40
4.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	58

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह
सचिव।